मेग्ना पब्लिशर्स कंपनी लिमिटेड व अन्य

विरुद्ध

शिल्पा एस. शेट्टी

12 दिसम्बर, 2007

(डॉ. अरिजीत पसायत एवं पी. सदाशिवम, जे. जे.)

मानहानि: पत्रिका में फिल्म अभिनेत्री के विरुद्ध छापे गए मानहानि कारित करने वाले लेख का अभिनेत्री द्वारा निषेधाज्ञा एवं क्षति का वाद विरुद्ध प्रकाशक-उच्च न्यायालय की एकल पीठ द्वारा दिया गया अंतरिम निषेधाज्ञा-उच्च न्यायालय की खण्ड पीठ द्वारा की गई पुष्टि-अपील पर माना गया: अंतरिम आदेश जिसमें निषेधाज्ञा पारित की गई थी, वह प्रावधान में रहेगी-उच्च न्यायालय वाद का निस्तारण यथाशीघ्र करे।

प्रत्यर्थी फिल्म अभिनेत्री द्वारा 20 करोड़ रुपये की क्षति बाबत् एक वाद पत्रिका के प्रकाशक अपीलार्थी के विरुद्ध इस आशय का पेश किया गया कि उस पत्रिका में प्रकाशित लेख मानहानिकारक थे और फिल्म अभिनेत्री के पेशे पर विपरीत प्रभाव डालते हैं और अपीलार्थी प्रकाशक को निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाए कि वह ऐसे लेख प्रकाशित नहीं करे। उच्च न्यायालय की एकल पीठ द्वारा अंतरिम निषेधाज्ञा पारित की गई, जिसे खण्ड पीठ द्वारा सही ठहराया गया। अतः यह अपील प्रस्तुत हुई।

अपील का निस्तारण करते हुए अभिनिर्धारित किया-

1.1. प्रकरण अंतरिम आदेश से संबंधित है और अपील की छूट देते हुए इस न्यायालय द्वारा अंतरिम अनुतोष के निवेदन को अस्वीकार किया गया। दूसरे शब्दों में, एकल न्यायाधीश द्वारा पारित अंतरिम आदेश जिसे उच्च न्यायालय की खण्ड पीठ ने बरकरार रखा था, लागू रहेगा। उच्च न्यायालय से अनुरोध है कि वह उसके समक्ष लंबित प्रकरण के शीघ्र निस्तारण की संभावना तलाशे। (पैरा 11)(741-एफ-जी)

1.2 मामले के गुणावगुण पर कोई टिप्पणी नहीं की गई है। (पैरा 11)(741-जी)

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार: सिविल अपील नं. 344/2002.

2001 की मुकदमा सं. 36/2001 के प्रस्ताव सं. 25 के नोटिस में अपील सं.128/2001 में बम्बई उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 16.07.2001 से।

ई.सी. अग्रवाल, महेश अग्रवाल, ऋषि अग्रवाल एवं अमित कुमार शर्मा अपीलकर्ता की ओर से।

एस. के. भट्टाचार्य प्रत्यर्थी की ओर से।

न्यायालय का निर्णय सुनाया गया द्वारा-

डा॰. अरिजीत पसायत, जे.

1. दोनों पक्षकारान के विद्वान अधिवक्तागण को सुना गया।

2. ऐसा प्रकट हुआ है कि दिनांक 12.01.2001 को उच्च न्यायालय द्वारा अंतरिम निषेधाज्ञा का आदेश दिया गया था और खण्ड पीठ, बम्बई उच्च न्यायालय द्वारा उसमें हस्तक्षेप से इंकार किया गया।

3. तथ्यों का एक संक्षिप्त संदर्भ प्रर्याप्त होगाः

4. प्रत्यर्थीया द्वारा यह दावा किया गया है कि वह एक अच्छी प्रतिष्ठा वाली फिल्म अभिनेत्री है, स्टारडस्ट नामक पत्रिका द्वारा कुछ लेख अपीलार्थी द्वारा प्रकाशित किए गए। 20 करोड़ रुपये की क्षति के लिए एक वाद दायर किया गया, जिसमें यह आरोपित किया गया कि वह लेख मानहानिकारक प्रकृति का था और प्रत्यर्थीया के कैरियर को प्रभावित करता था और मानहानिकारक लेख प्रकाशिक करने वाले अपीलार्थियों को रोकने के लिए निषेधाज्ञा दायर की गई। अंतरिम निषेधाज्ञा के प्रस्ताव के लिए नोटिस जारी किए गए। विद्वान एकल पीठ का प्रथम दृष्टया यह विचार था कि वह लेख व्यक्तिगत जीवन से संबंधित हैं और मानहानिकारक प्रकृति के हैं। अतः अंतरिम निषेधाज्ञा को मंजूरी दी गई, जो कि इस प्रकार थीः

जैसा कि इंडियन एक्सप्रेस अखबार के प्रकरण में निर्देशित किया गया है, एक संशोधित निषेधाज्ञा दी गई है, जो तीन लेखों को पुनः

प्रकाशित करने या तीन लेखों की प्रकृति में किसी भी अपमानजनक लेख को लिखने और प्रकाशित करने से रोकती है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि वादी का अन्य अभिनेताओं या किसी अन्य विवाहित व्यक्ति से संबंध है, जो मुकदमे के निपटारे तक जारी रहेगा।

5. पारित आदेश दिनांक 12.01.2001 को चुनौती दी गई।

6. खण्ड पीठ के समक्ष यह कहा गया कि अंतरिम निषेधाज्ञा जो जारी की गई है, वह नोटिस में की गई प्रार्थना से परे है। उच्च न्यायालय ने कहा कि नोटिस की सूचना में यह प्रार्थना निम्नलिखित शब्दों में की गई हैः

> "कि सुनवाई के लंबित रहने और वाद के अंतिम निस्तारण तक यह न्यायालय आदेश व निषेधाज्ञा जारी करता है कि प्रतिवादी, वादी के विरुद्ध भविष्य में किसी प्रकार के मानहानिकारक आरोप न लगाये।"

7. खण्ड पीठ का आगे यह मानना था कि विद्वान एकल पीठ द्वारा नोटिस में की गई प्रार्थना से परे कोई निषेधाज्ञा की सुरक्षा प्रदान नहीं की गई है।

8. खण्ड पीठ के समक्ष यह भी कहा गया कि जिस समय औचित्य की दलील दी जाती है, तो कोई अंतरिम सुरक्षा नहीं दी जा सकती। इस

याचिका को यह कहते हुए खारिज कर दिया गया कि भविष्य में ऐसे प्रकाशनों की अनुमति देकर किसी व्यक्ति को बदनाम नहीं किया जा सकता। मुकदमे की सुनवाई के समय साक्ष्य द्वारा औचित्य साबित करना आवश्यक होगा।

9. प्रतिष्ठा और चरित्र के बारे में दलीलों की कमी से संबंधित कुछ अन्य तथ्य रखे गए। खण्ड पीठ ने यह पाया कि वह सभी तथ्यहीन हैं। तद्नुसार अपील खारिज की गई।

10. अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा खण्ड पीठ के समक्ष रखे गए तथ्यों को दोहराया गया। प्रत्यर्थी के विद्वान अधिवक्ता श्री भट्टाचार्य ने आदेश का समर्थन किया।

11. यह पाया गया है कि यह प्रकरण अंतरिम आदेश से संबंधित है और पेश करने की राहत देते हुए, अंतरिम राहत देने की प्रार्थना अस्वीकार कर दी गई थी। दूसरे शब्दों में विद्वान एकल पीठ द्वारा पारित अंतरिम आदेश, जिसे खण्ड पीठ द्वारा बरकरार रखा गया है, प्रभावी रहेगा। अतः हम मामले के गुणावगुण पर कोई राय व्यक्त किए बिना अपील का निस्तारण बिना किसी हस्तक्षेप के करना उचित पाते हैं। हालांकि हम उच्च न्यायालय से याचिका सं. 36/2001 के शीघ्र निस्तारण की संभावना तलाशने का अनुरोध करते हैं।

12. अपील तद्नुसार निस्तारित की जाती है।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल '**सुवास**' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी रिद्धिमा शर्मा (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।